23/11/16	वकील वादी उपस्थित। प्रार्थना पत्र T.I के साथ मूल वाद पर डिक्री एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है इसलिए प्रा० पत्र प्रभाव शून्य हो गया है। अतः कार्यवाही प्रार्थना पत्र ड्रॉप की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.14 11:18:51 IST
Reason: SelfAttested